

संचिका सं०-7/बजट-46-12/2021(खण्ड-2) - 84 (7A)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक-17/02/2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत Implementation of Infrastructure Maintenance, a Centrally Sponsored Plan Scheme Kind Grants under NHM मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद के विमुक्त राशि रु० 2,53,00,00,000/- (रुपये दो अरब तिरपन करोड़) के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 1,68,66,66,667/- (रुपये एक अरब अड़सठ करोड़ छियासठ लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र Kind Grants under NHM मद में व्यय निमित आवंटन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध में राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्राक-7630 दिनांक-05 02.2026 द्वारा भारत सरकार से निर्गत आवंटनादेश के आलोक में NHM अन्तर्गत Implementation of Infrastructure Maintenance, a Centrally Sponsored Plan Scheme Kind Grants under NHM मद में 60:40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद के विमुक्त राशि रु० 2,53,00,00,000/- (रुपये दो अरब तिरपन करोड़) के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 1,68,66,66,667/- (रुपये एक अरब अड़सठ करोड़ छियासठ लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र अर्थात् कुल रु० 4,21,66,66,667/- (रुपये चार अरब इक्कीस करोड़ छियासठ लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र में से वर्तमान में राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 1,68,66,66,667/- (रुपये एक अरब अड़सठ करोड़ छियासठ लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र Kind Grants under NHM मद में Virtual Allotment के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है ।

2- राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त पत्र के प्रराग में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से आवंटनादेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत् है :-

५

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR							
Details of Fund received from Govt. of India (2025-26)							
Sl No	Implementation of Infrastructure Maintenance, a centrally sponsored Plan Scheme	Date	Amount (Central Shares-60%)	Amount State Shares-40%	Total		
1	G.27017/4(4)/2013-NRHM(Finance)/128630	13.01.26	2530000000	1686666667	4216666667		
	Total		2530000000	1686666667	4216666667		
STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR							
Details of Fund received from Govt. of India(2025-26)							
Sl. No.	Letter no.	Date		Amount(Central Shares-60%)	Amount (State Shares-40%)	Total	
	Implementation of Infrastructure Maintenance, a centrally sponsored Plan Scheme						
1	G.27017/4(4)/2013-NRHM(Finance)/128630	13.01.26	General	3601-06-101-17-01-31(GBS)	151724000	101149333	252873333
				3601-06-101-17-05-31(GBS)	19581000	13054000	32635000
				Total	171305000	114203333	285508333
	/		SC	3601-06-789-05-01-31(GBS)	37201000	24800667	62001667
				3601-06-789-05-01-31(GBS)	485488000	323658667	809146667
				Total	522689000	348459334	871148333
			ST	3601-06-796-05-01-31(GBS)	1823000	1215333	3038333
				3601-06-796-05-02-31(GBS)	23074000	15382667	38456667
				3601-06-796-05-03-31(GBS)	617000	411333	1028333
				Total	25514000	17009333	42523333
			Sub-Centre	3601-06-101-85-02-031	1810492000	1206994667	3017486667
				Total(General+Sc+ST + Sub Centre)	2530000000	1686666667	4216666667

3- उक्त परिप्रेक्ष्य मे वित्तीय वर्ष 2025-26 मे राजकोषीय माध्यम से Kind Grants under NHM अन्तर्गत Implementation of Infrastructure Maintenance, a Centrally Sponsored Plan Scheme Kind Grants under NHM मद में 60.40 के अनुपात में अनुमोदित केन्द्रांश मद के विमुक्त राशि रु 2,53,00,00,000/- (रुपये दो अरब तिरपन करोड) के विरुद्ध राज्याश मद की समानुपातिक कुल राशि रु 1,68,66,66,667/- (रुपये एक अरब अडसठ करोड छियासठ लाख छियासठ हजार छ सौ सडसठ) मात्र अर्थात् कुल रु 4,21,66,66,667/- (रुपये चार अरब इक्कीस करोड छियासठ लाख छियासठ हजार छ सौ सडसठ) मात्र में से वर्तमान में राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु 1,68,66,66,667/- (रुपये एक अरब अडसठ करोड छियासठ लाख छियासठ हजार छ सौ सडसठ) मात्र विभागीय राज्यादेश संख्या- 83 (7A) दिनांक 17/02/2026 के द्वारा Kind Grants under NHM मद में व्यय निमित्त आवंटन दी जाती है।

4- ज्ञातव्य हो कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निदेश के आलोक में वित्त विभाग से निर्गत पत्रांक-410 दिनांक-12.06.2025 के परिप्रेक्ष्य में SNA SPARSH Module में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित स्कीमों को Component wise (General, SCSP & TSP) एक ही HoA (Head of Account) से केन्द्रांश एवं राज्यांश के e-Payment हेतु दावा/विपत्र (Claim/Bill) बनाने की व्यवस्था की गई है।

5- राज्यांश मद- राज्यांश मद की उक्त राशि की निकासी कंडिका-4 के अनुरूप केन्द्रांश मद के अधोलिखित विपत्र कोडों में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा -

(i) सामान्य घटक एवं Sub-centre घटक की राशि मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष- 0203- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210031100203, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित राशि रु० 6,00,00,00,000/- (रुपये छः अरब) मात्र में से रु० 1,32,11,98,000/- (रुपये एक अरब बत्तीस करोड़ ग्यारह लाख अठानवे हजार) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

(ii) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-0201-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210017890201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित कुल राशि रु० 3,00,00,00,000/- (रुपये तीन सौ करोड़) मात्र में से रु० 34,84,59,334/- (रुपये चौतीस करोड़ चौरासी लाख उनसठ हजार तीन सौ चौतीस) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

(ii) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- उप शीर्ष- 0219- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210017960219, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में बजट उपबंध से प्राप्त कुल राशि रु० 80,00,00,000/- (रुपये अस्सी करोड़) मात्र में से रु० 1,70,09,333/- (रुपये एक करोड़ सत्तर लाख नौ हजार तीन सौ तैतीस) मात्र राशि विकलनीय होगी।

6- इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना एवं राज्य के सभी जिला स्वास्थ्य समिति, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल Implimenting Agency के रूप में नामित है। उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु उपरोक्त कार्यान्वयन एजेंसी को SNA-SPARSH के अन्तर्गत व्यय हेतु राशि की अधिसीमा दी जाती है।

7- इस राशि की निकासी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग होंगे। इसी प्रकार राज्य के सभी जिला स्वास्थ्य समिति, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः सिविल सर्जन, क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, अधीक्षक/उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (MOIC) एवं Superintendent होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति एवं अन्य समस्त कार्यान्वयन एजेंसियों हेतु नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति एवं अन्य समस्त कार्यान्वयन एजेंसियां भारत सरकार एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या-879 दिनांक-24.01.2025 के दिशा-निदेशों के अनुरूप विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि व्यय करेंगे।

4.

8- योजना अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-In-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार वित्त विभाग के पत्रांक-879, दिनांक-24.01.2025 सह पठित Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023 एवं Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

9- ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि "Just-In-Time" पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS Division) के अंतर्गत विभाग द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है:-

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	खाता का नाम	खाता संख्या	आई0एफ0एस0कोड	बैंक का नाम
IM & Kind Grants (NHM) (Scheme code-4063) on SNA SPARSH	GOBHSPARSHBR348IMKIND	01585501248	RBISOCSSP01	RBI

10- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में अपने संस्थान सहित क्षेत्रीय संस्थानों से विहित प्रपत्र (BTC-42A) में संकलित कर विभाग के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेंगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

11- प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12- राशि की निकासी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के मामले में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय कोषागार कार्यालय से की जायेगी।

13- राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-7/बजट-46-12/2021(खण्ड-2)- 84 (7A) / स्वा0, पटना, दिनांक-17/12/2026
प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/वित्त प्रबन्धक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/ संबंधित सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित सभी जिला पदाधिकारी/संबंधित सभी सिविल सर्जन, क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, अधीक्षक/उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (MOIC) एवं Superintendent /कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०), निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— अवर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम नं०-331-सी., निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— उप निदेशक(ए०जे०एस०)/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, रूम नं०-523-सी.विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी- 07, 12/प्रशाखा के सभी सहायक/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।
Hussa

849A
17/02/26

